

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा	
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कापॉरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]	
वैलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के व्यापार्य संबंधित विवरण	
1. कापॉरेट देनदार का नाम	वैलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2. कापॉरेट देनदार के निगमन की तिथि	09 दिसंबर, 2011
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कापॉरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर
4. कापॉरेट देनदार की कापॉरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70101RJ2011PTC037284
5. कापॉरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 24, कटेवा नगर, गुजर की थड़ी न्यू सागानेर रोड सोडाला जयपुर-302019 राजस्थान (एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार) ए-23सी, फेस-1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड़, अलवर राजस्थान-301701 (एनसीएलटी आदेश के अनुसार)
6. कापॉरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	04 जुलाई, 2023 (आदेश की प्रति एनसीएलटी की वेबसाइट के माध्यम से 05 जुलाई 2023 को प्राप्त हुई)
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	31 दिसंबर 2023 (समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख यानी 04 जुलाई 2023 से 180वां दिन)
8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	गरिमा दिग्गीवाल पंजी. सं.:IBBI/PA-001/IP-P-02018/2020-2021/13158 एएफए 25 मई, 2024 तक वैध
9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	91, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302017 ईमेल : garima286@gmail.com
10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	91, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302017 ईमेल : cirp.welfareinfrastructure@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	19 जुलाई, 2023 (आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्त होने की तारीख यानी 05 जुलाई 2023 से 14वां दिन)
12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	कुछ नहीं
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहाँ उपलब्ध है:	(क) वेब लिंक https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं
<p>एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक 04 जुलाई 2023 को वैलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कापॉरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। वैलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 19 जुलाई 2023 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।</p> <p>दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।</p> <p style="text-align: right;">गरिमा दिग्गीवाल अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, वैलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं.:IBBI/PA-001/IP-P-02018/2020-2021/13158 असाइनमेंट का प्राधिकरण (एएफए):AA/1/13158/02/250524/105769</p>	
दिनांक : 06.07.2023	
स्थान : जयपुर	

